

I/185172/2023

व्यक्तिगत ध्यानार्थ

संख्या:-पीसीएच-एचसी(10)उ0प्र0प0-1/2019-पार्ट-II -2144-58
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009

दिनांक

09 मार्च, 2023

विषय:-

वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रेषित करने बारे।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस विभाग के समस्त बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आपके कार्यालय से सम्बन्धित अवधि 2015-16 से 2022-23 तक के समस्त बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया है, परन्तु अभी तक भी आपके कार्यालय से उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने कार्यालय से सम्बन्धित बकाया विभिन्न मदों के वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक के समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को निदेशालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि उन्हें संकलित करके महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके। इस सम्बन्ध में आपको निदेशालय द्वारा बार-बार स्मरण पत्र जारी किए गए हैं। आपके कार्यालय से सम्बन्धित बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सूची आपके कार्यालय को पहले ही ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। अतः आप से अनुरोध है कि आप अपने-अपने कार्यालयों से बकाया अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र 14 वां वित्तायोग अनुदान, 15वां वित्तायोग अनुदान, नि0/मु0/अपवर्धन पंचायत घर, आर0जी0एस0ए0 आदि समस्त मदों के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अविलम्ब निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त के दृष्टिगत आप अपने कार्यालय से सम्बन्धित बकाया समस्त मदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र दो सप्ताह के भीतर निदेशालय को प्रस्तुत करें ताकि उन्हें संकलित करके महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि जिन अनुदानों को आपके कार्यालय द्वारा सम्बन्धित ट्रैजरी से आहरित किया गया है, उन अनुदान राशियों के उपयोगिता

प्रमाण पत्रों में ट्रैजरी वाऊचर व दिनांक अंकित करवा कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करे तथा उसकी एक प्रति निदेशालय को भी प्रस्तुत करें तथा जो राशियां निदेशालय द्वारा आहरित करके आपके कार्यालय को प्रदान की गई है, उन अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि उन्हें संकलित करके महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,




(ऋग्वेद ठाकुर) भा0प्र0से0

निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171009

पृठांकन संख्या :-उपरोक्त -2159-70 दिनांक
प्रतिलिपि:-

09 मार्च, 2023

1. समस्त अतिरिक्त उपायुक्त हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं इस आशय सहित कि वे उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।



निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171009